# <u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 622 / 2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 08.08.2011

फाइलिंग नंबर : 230303005372011

श्रीमती बुधाबाई पत्नि दाताराम आयु 33 वर्ष, जाति कुशवाह निवासी ग्राम बाखौली थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड हाल ग्राम डोंढरी परगना मेंहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

– परिवादी

#### <u>बनाम</u>

1-दाताराम पुत्र श्यामलाल उम्र 41 वर्ष

2-श्यामलाल पुत्र पंचमसिंह उम्र 66 वर्ष

3-भूरीबाई पत्नी श्यामलाल उम्र 55 वर्ष

4-जमुनीप्रसाद पुत्र श्यामलाल उम्र 36 वर्ष

5—श्रीमती बर्फी पत्नी विनोद कुमार उम्र 30 वर्ष

समस्त जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम बाखौली थाना मौ जिला भिण्ड

6—श्रीमती ओमवती पत्नि पूरनसिंह उम्र 45 वर्ष जाति कुशवाह निवासी ग्राम मकाटा थाना मौ जिला भिण्ड

7—श्रीमती गुड्डी पिल केसरी उम्र 38 वर्ष जाति कुशवाह निवासी ग्राम भंगे गिजौर्रा तह0 डबरा जिला ग्वालियर

– अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा—498ए भा०दं०सं० ) ( परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला ) ( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०एस० गुर्जर )

# <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक 07-09-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 09.06.11 के लगभग 15 वर्ष पूर्व से ग्राम बाखौली में परिवादी बुधाबाई के पति / नातेदार होकर परिवादी बुधाबाई से दहेज में एक लाख रूपये की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी बुधाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप है।

- संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि परिवादिया बुधाबाई का विवाह 15 वर्ष पूर्व आरोपी दाताराम के साथ हुआ था श्यामलाल परिवादिया का ससुर भूरीबाई परिवादिया की सास जमुनीप्रसाद परिवादिया का जेठ, बर्फी परिवादिया की देवरानी एवं ओमवती तथा गुड़डी परिवादिया की ननद हैं। विवाह के पश्चात परिवादिया ने कुछ समय ससुराल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया था उसके पश्चात से आरोपीगण द्वारा परिवादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जाने लगा था। परिवादिया अपने पिता की सामाजिक प्रतिष्टा की देखते हुए एवं अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने पति एवं ससुराल के सभी लोगों के बीच सामंजस्य बिठाती रही थी। आरोपीगण परिवादिया से एक लाख रूपये की मांग करते थे एवं मांग पूरी न होने पर आरोपीगण आए दिन परिवादिया की मारपीट करते थे शादी के बाद परिवादिया के पुत्र दिनेश एवं श्रीमोहन तथा पुत्री नेहा पैदा हुए थे जो कि परिवादिया के साथ में हैं। आरोपी श्यामलाल, भूरीबाई, जमुनीप्रसाद, बर्फी, ओमवती तथा गुङ्डी खेडे होकर आरोपी दाताराम से परिवादिया को शारीरिक यातनाएं दिलवाते थे परिवादिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता था एवं परिवादिया के माता–पिता तथा भाईयों द्वारा पंचायत की जाकर परिवादिया को आरोपीगण के घर रहने भेज दिया जाता था। इस घटना की पुनरावृत्ति विगत ८ वर्षो से हो रही है। दिनांक 15.03.2011 को परिवादिया के ससुराल वालों ने परिवादिया के पति दाताराम से मारपीट करवाई थी एवं परिवादिया तथा उसके तीनों बच्चों को पहने हुए कपड़ों में घर के बाहर निकाल दिया था उक्त घटना की रिपोर्ट करने के लिए परिवादी थाना मौ गई थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। परिवादिया के भाईयों ने सामाजिक स्तर पर समाज एवं रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कई बार परिवादिया के वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास किया था किंत् आरोपीगण परिवादिया को रखने के लिए तैयार नहीं हुए थे। परिवादी के विवाह के दो वर्ष पश्चात परिवादी के देवर विनोद कुमार का विवाह आरोपी बर्फी के साथ संपन्न हुआ था। विनोद कुमार शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम है। इस कारण आरोपी बर्फी ने उसके पति दाताराम से अवैध रूप से शारीरिक संबंध बना लिए है जिसको रोकने का परिवादिया ने कई बार प्रयास किया था परंत् आरोपीगण परिवादिया को और अधिक शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देने लगे थे। इसलिए परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
- 3. उक्त परिवाद की जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा भा0द0सं0 की धारा 498ए का संज्ञान लिया गया तत्पश्चात आरोप पूर्व साक्ष्य अंकित की गई एवं उक्त अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झुठा फंसाया गया है।

## 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुआ है:--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.06.11 से लगभग 15 वर्ष पूर्व से ग्राम बाखौली में परिवादिया के पति/नातेदार होकर परिवादिया बुधाबाई से दहेज में एक लाख रूपये की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी बुधाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी की ओर से परिवादी बुधाबाई अ0सा01, हरविलास अ0सा02 एवं सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 20 वर्ष पूर्व दाताराम के साथ हुई थी। श्यामलाल एवं भूरीबाई उसके सास ससुर है। जमुनी उसका जेठ, बर्फी उसकी देवरानी है ओमवती तथा गुड्डी उसकी ननद हैं। शादी के बाद वह अपनी ससुराल बाखौली गई थी। शादी के बाद वह एक दो साल अपनी ससुराल में ठीक ठाक रही थी। इसके बाद उसका पति दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था। उसकी देवरानी बर्फी उसे पिटवाती थी फिर कहा सभी लोग उसे खंडे होकन पिटवाते थे उसका भाई उसे मायके ले जाता था एवं कुछ दिन बाद उसे ससुराल छोड जाता था पंचायतें भी जोडी गई थी परंतु आरोपीगण उसकी मारपीट करते रहे थे। दाताराम कहता था कि एक लाख रूपये लाओ तभी तुम्हें रखेंगे। उसके माता-पिता ने पंचायत जोडी थी परंतु उसके ससुराल वालों ने किसी ने नहीं मानी थी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 6 साल पहले होली के आस-पास सभी आरोपीगण ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर वह मौ थाने गई थी परंतु पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली थी इसके बाद उसने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। उसके तीन बच्चे हैं जो उसके साथ ही मायके में रहते हैं 🌈
- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी शादी में दान दहेज के संबंध में कोई बात नहीं की गई थी उसके दो लड़के एवं एक लड़की है। उसके बड़े लड़के दिनेश की आयु लगभग 14 वर्ष है। शादी के 1–2 साल बाद उसे परेशान करने लगे थे। उसके सास ससुर वृद्ध नहीं हैं। उसे जानकारी नहीं है कि उसके सास ससुर की उम्र कितनी होगी। उसके पित दाताराम तीन भाई हैं उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि तीनों की शादी हो गई है एवं तीनों अपनी पितन तथा बच्चों सिहत अलग—अलग निवास करते हैं। उसकी ननद ओमवती की शादी उसकी शादी के पहले हो गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि शादी के बाद से ही ओमवती अपनी ससुराल में रहने लगी थी उसकी शादी के 1–2 साल बाद उसकी ननद गुड़ड़ी की शादी हो गई थी एवं वह भी अपनी ससुराल में रहने लगी थी। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि दोनों ननद उसके यहां त्यौहार के समय आती थी एवं व्यक्त किया है

कि वह दो-दो महीने रहती थी। पद क03 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके सास संसुर उसकी शादी के बाद से ही उसके साथ रहते थे। वह नहीं बता सकती कि आरोपीगण द्वारा उसे किस माह से परेशान किया जाने लगा था। आरोपीगण उसे परेशान करते थे इसकी शिकायत उसने अपने तीनों भाईयों से की थी। ग्राम बाखौली में एक दो बार पंचायत हुई थी एवं एक दो बार उसके मायके ग्राम डोंढरी में हुई थी। उसे नहीं पता कि पंचायत में कौन-कौन गया था वह उनके नाम नहीं बता सकती है। पद क0 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसका लडका दिनेश शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ था एवं उसके मायके से दिनेश के जन्म होने के पश्चात पछ आया था एवं उस पछ को आरोपीगण ने प्रेमपूर्वक लिया था उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पछ के समय उसके सस्राल वालों ने उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं की थी। वह नहीं बता सकती कि उसके ससुराल वालों ने सर्वप्रथम उसकी मारपीट किस वर्ष से की थी। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि शादी के दो साल बाद से ही आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे वह उक्त संबंध में मौ थाने रिपोर्ट करने गई थी परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी ેથી ⊬∕ે

- 9. परिवादी साक्षी हरविलास अ०सा०२ एवं सुरेन्द्र सिंह अ०सा०३ ने भी परिवादी के कथन के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 10. तर्क के दौरान परिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में परिवादी एवं साक्षीगण के कथन अखण्डनीय रहे हैं ऐसी स्थिति में आरोपीगण दोषसिद्धी के हकदार हैं जब कि तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी एवं परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 11. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद वह 1—2 साल अपनी ससुराल में ठीक रही थी इसके बाद आरोपी दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था उसकी देवरानी बर्फी उसे पिटवाती थी इसके तुरन्त पश्चात ही इसी साक्षी का कहना है कि सभी लोग उसे खडे होकर पिटवाते थे दाताराम उससे एक लाख रूपये अपने मायके से लाने के लिए कहता था इसी कम में आरोपीगण ने न्यायालयीन कथन से लगभग 6 साल पहले होली के आस—पास उसे घर से निकाल दिया था प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पित दाताराम तीन भाई हैं तथा यह भी स्वीकार किया है कि तीनों भाई अपनी पित एवं बच्चों सिहत अलग—अलग निवास करते हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी ननद गुड़ड़ी एवं ओमवती की भी शादी हो चुकी है तथा वह भी अपनी सस्राल में रहती हैं।
- 12. इस प्रकार परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि दाताराम के भाई अपनी पित्न एवं बच्चों सिहत परिवादी से अलग निवास करते हैं एवं आरोपी ओमवती तथा गुड़डी बाई भी अपनी ससुराल में निवास करती हैं। परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 द्वारा अपने परिवाद पत्र एवं न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसके सास, ससुर, ननद, जिठानी, जेठ एवं देवरानी उसे उसके पित से पिटवाते थे परंत् प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि दाताराम के सभी भाई

अपनी पत्नि और बच्चों के साथ पृथक निवास करते थे एवं उसकी ननद ओमवती तथा ग्ड्डी बाई भी अपनी ससुराल में रहती हैं। ऐसी स्थिति में जब कि आरोपी जम्नीप्रसाद, बर्फी, ओमवती एवं गुडडी परिवादी के साथ निवास नहीं करते थे परिवादी का यह कथन कि उक्त सभी आरोपीगण परिवादी को उसके पति दाताराम से पिटवाते थे विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 ने यह भी व्यक्त किया है कि उसकी दोनों ननद ओमवती एवं गुडडी दो–दो महीने उसके साथ रहती थी परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ओमवती एवं गुडडी कब–कब अपनी ससुराल से आकर दो-दो महीने उसके साथ रहीं थी एवं आरोपी ओमवती एवं गुडडी ने कब-कब दाताराम से उसे पिटवाया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया बुधाबाई अ०सा०१ के कथनों से यह दर्शित है कि दाताराम के सभी भाई अर्थात आरोपी जमनीप्रसाद एवं बर्फी भी परिवादी से पथक रहते हैं एवं परिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त आरोपीगण ने कब-कब आकर दाताराम से उसकी मारपीट कराई थी ऐसी स्थिति में परिवादी का यह कथन भी विश्वास योग्य नहीं है कि आरोपी जमुनीप्रसाद एवं बर्फी भी परिवादी की मारपीट करवाते थे।

- 13. परिवादी बुधाबाई अ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के 1—2 साल बाद से ही उसका पित दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था एवं शेष आरोपीगण उसे खडे होकर पिटवाते थे तथा दाताराम उससे एक लाख रूपये लाने के लिए कहता था परंतु बुधाबाई द्वारा उक्त संबंध में किसी विर्निदिष्ट घटना का कथन नहीं किया गया है परिवादिया बुधाबाई अ०सा०१ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह नहीं बताया गया है कि आरोपी दाताराम ने किस दिनांक को उससे एक लाख रूपये की मांग की थी एवं किस दिनांक को उसकी मारपीट की थी।
- 14. परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि उसका भाई उसे मायके ले जाता था एवं कुछ दिन बाद उसे ससुराल छोड जाता था पंचायतें भी जोडी गई थी पर आरोपीगण उसकी मारपीट करते रहे थे परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसका भाई उसे कब मायके ले गया था एवं कब पंचायत जोडी गई थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि ग्राम बाखौली के 1–2 बार पंचायत हुई थी एवं उसके मायके ग्राम डोंढरी में भी पंचायत हुई थी परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम बाखौली एवं ग्राम डोंढरी में किस—किस दिनांक को पंचायत हुई थी परिवादी द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध मे कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 के कथन विश्वास योग्य नहीं है।
- 15. परिवादिया बुधाबाई अ०सा०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के एक दो साल बाद से ही उसका पित दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था तथा शेष आरोपीगण उसे खडे होकर पिटवाते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसके सबसे बडे पुत्र दिनेश का जन्म उसकी शादी के दो साल बाद हुआ था एवं दिनेश के जन्म के पश्चात उसके मायके वालों ने पछ दिया था जिसे आरोपीगण ने प्रेमपूर्वक लिया था तथा पछ के समय आरोपीगण ने उससे या उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं की थी। इस प्रकार परिवादी बुधाबाई अ०सा०१ ने

अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण शादी के 1—2 साल बाद से ही उसकी मारपीट करने लगे थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी के दो साल बाद दिनेश का जन्म हुआ था एवं उस समय तक उसके ससुराल वालों को उससे या उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं थी इस प्रकार परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त बिंदु पर परिवादी बुधाबाई अ0स01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त बिंदु पर परिवादी बुधाबाई अ0स01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। परिवादी बुधाबाई द्वारा स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि शादी के दो साल बाद उसके पुत्र दिनेश का जन्म हुआ था एवं दिनेश के जन्म के समय उसके मायके से पछ गया था जिसे आरोपीगण ने प्रेमपूर्वक लिया था। परिवादी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि दिनेश के जन्म के समय तक परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य मधुर संबंध थे एवं परिवादी अपनी ससुराल में प्रेमपूर्वक रह रही थी। ऐसी स्थिति में परिवादी का यह कथन कि आरोपीगण शादी के 1—2 साल बाद से ही उसकी मारपीट करने लगे थे, सत्य नहीं है।

- 16. परिवादी बुधाबाई ने अपने कथन में दाताराम द्वारा उससे एक लाख रूपये की मांग करना एवं सभी आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी ससुराल वालों ने सर्वप्रथम उसकी मारपीट किस वर्ष से की थी परिवादी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि शादी के दो साल बाद से ही आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि दो साल बाद उसके पुत्र दिनेश का जन्म हुआ था एवं तब तक आरोपीगण को उससे एवं उसके मायके वालो से कोई शिकायत नहीं थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथनों अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जो परिवादी के कथनों की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।
- 17. परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि शादी के दो साल बाद से ही आरोपीगण उसे परेशान करते थे उक्त संबंध में वह मौ थाने रिपोर्ट करने गई थी परंतु थाने वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली थी। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त संबंध में उसने पुलिस के विरुद्ध अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की परंतु परिवादी का यह कथन भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। यदि परिवादी ने शादी के दो साल बाद आरोपीगण के विरुद्ध मौ थाने पर रिपोर्ट की होती तो पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट अवश्य लिखी जाती यदि पुलिस थाने द्वारा परिवादी की रिपोर्ट अवश्य लिखी जाती यदि पुलिस थाने द्वारा परिवादिया को पुलिस के विरुद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी परंतु परिवादिया द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया द्वारा यह परिवाद पत्र विवाह के 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्य परिवादी के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 18. जहां तक परिवादी साक्षी हरविलास अ०सा०२ एवं सुरेन्द्र सिंह अ०सा०३ के कथन का प्रश्न है तो हरविलास अ०सा०२ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के एक साल बाद से ही आरोपीगण बुधाबाई को परेशान करने लगे थे एवं बुधाबाई से दहेज में एक लाख रूपये की मांग करने लगे थे जब कि स्वयं परिवादी बुधाबाई अ०सा०1 के कथनों से यह दर्शित है

कि पुत्र दिनेश के जन्म तक परिवादिया अपनी ससुराल में प्रेमपूर्वक रहती थी। हरविलास अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जेठ में बुधाबाई की शादी हुई थी एवं होली पर आरोपीगण ने बुधाबाई की मारपीट की थी उसके बाद बुधाबाई मायके आई थी और पंचायत जोडी थी तब उसे उक्त बात की जानकारी दी थी परंतु यह बात कि जेठ में बुधाबाई की शादी हुई थी एवं होली पर आरोपीगण ने बुधाबाई की मारपीट कर दी थी तब बुधाबाई के मायके में पंचायत जोडी थी स्वयं बुधाबाई अ0सा01 द्वारा नहीं बताई गई है। बुधाबाई अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि पंचायत में हरविलास मौजूद था इस प्रकार उक्त बिंदु पर बुधाबाई अ0सा01 एवं हरविलास अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि बुधाबाई अ0सा01 एवं हरविलास अ0सा02 के कथनों परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

जहां तक सुरेन्द्र सिंह अ०सा०३ के कथ्नों का प्रश्न है तो सुरेन्द्र सिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के बाद साल छः महीने बुधाबाई अपनी सस्राल में अच्छी तरह से रही थी उसके बाद आरोपीगण उसे परेशान करने लगे थे उसने स्वयं जाकर देखा था आरोपीगण उससे नंगेपैर खेतों पर काम करवाते थे इस प्रकार सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण बुधाबाई से नंगे पैर खेतों पर काम कराते थे पंरतु यह बात स्वयं बुधाबाई अ०सा०१ द्वारा नहीं बताई गई है। इसके अतिरिक्त सुरेन्द्र सिंह अ०सा०३ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसने स्वयं देखा था कि आरोपीगण बुधाबाई से नंगे पैर खेतों में काम कराते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि शादी के बाद वह एक बार भी बुधाबाई के सस्राल नहीं गया था उसके त्रंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा अपने कथनों में सुधार करते हुए यह भी व्यक्त किया गया है कि वह 5-50 बार बुधाबाई की ससुराल गया था। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसे याद नहीं है कि वह प्रथम बार ब्धाबाई की सस्राल कब गया था इस प्रकार सुरेन्द्र सिंह अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन परिवादी बुधाबाई अ०सा०१ के कथनों से भी विरोधाभाषी रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

20. इस प्रकार प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में परिवादी बुधाबाई अ0सा01 ने आरोपी दाताराम द्वारा उससे एक लाख रूपये की मांग करना एवं सभी आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परन्तु परिवादी द्वारा उक्त संबंध में किसी विनिंदिष्ट घटना का कथन नहीं किया गया है। परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। परिवादी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा विवाह के लंबे समय 15 वर्ष पश्चात परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी बुधाबाई अ0सा01, एवं साक्षी हरविलास अ0सा02 तथा साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किया जाना संदेहास्पद है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कूरता रहित दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना हर महिला का अधिकार है परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी महिला को उक्त अधिकार का दुरूपयोग करने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि परिवादिया द्वारा आरोपीगण

के विरूद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से परिवादिया आरोपीगण के विरूद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रही है ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 21. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो स्वरूप का स्थान नहीं ले सकता है अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि आरोपीगण ने दिनांक 09.06.11 के लगभग 15 वर्ष पूर्व से ग्राम बाखौली में परिवादी बुधाबाई के पित / नातेदार होकर परिवादी बुधाबाई से दहेज में एक लाख रूपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी बुधाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय संदेह का लाभ देते हुए आरोपी दाताराम, श्यामलाल, भूरीबाई, जमुनीप्रसाद, बर्फी, ओमवती तथा गुड्डी में से प्रत्येक को भा0दं०सं० की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

23. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते है।

24. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान — गोहद दिनांक —07.09.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)